FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भाकरराम बनाम सरकार प्रकरण सख्या 044/2020 धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/03/2021	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 044/2020 अनवान भाकरराम बनाम सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रार्थी की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं. 59/3 रकबा 15 बीघा भूमि प्रार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 01.09.1998 की खरीद जिसका नामान्तकरण संख्या 188 के तहत राजस्व रेकर्ड में अमल दराजम किया गया परन्तु लिपिकीय भूलवश, त्रुटिवश प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम के स्थान पर बुधाराम दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविक नाम भूराराम है। तथा तमाम दस्तावेज भूराराम के नाम से बने हुए है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का दर्ज नाम बुधाराम के स्थान पर भूराराम किया जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार लूणी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली संलग्न की गयी जिसमें तहसीलदार ने बेचाननामा में भाकरराम पुत्र भूराराम होना तथा नामान्तकरण संख्या 188 में भाकरराम पुत्र बुधाराम होना बताया गया। मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड भी भाकरराम पुत्र भूराराम के नाम से बने हुए है चूकि तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार भाकरराम पुत्र बुधाराम के स्थान पर भूराराम किया जाने का स्पष्ट उल्लेख नही है तथा पंजीबद्व दस्तावेजो अनुसार अमलदरामद हुआ या नही इसका भी उल्लेख नही किया गया इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी